बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

आ0सं0 415174 / पटना, दिनांक 5.3.19

श्री भैरबी नन्दन प्रसाद एवं अन्य 04 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्या 12906/2018 दायर किया गया । इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2018 को आदेश पारित किया गया । पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है:–

"Learned counsel for the petitioners submits the fact of present case is identical to the fact of CWJC No. 10653 of 2008 (Anirudh Jha Vs. The state of Bihar & Anirudh Jha & Ors.), and the aforesaid judgment and order squarely covers the issue involved in the present case.

In such view of the matter, concerned authority is directed to examine the case of the petitioners and if it is found that present case is squarely covered by the aforesaid cases, the same benefit should also be extended to the present petitioners.

This Court is not giving any opinion on the merit of this case.

With the aforesaid observation and direction this writ petition is disposed of."

इस रिट याचिका (सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 12906/2018) में शामिल सभी पॉच याचिकाकर्ताओं के संबंध में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से सूचनाओं की मांग की गई । जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार याचिकाकर्ताओं से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है:–

रिट याचिका संख्या /रिट याचिका दायर करने की तिथि	क0 सं0	याचिकाकर्ता का नाम	संबंधित डी0आर0डी0 का नाम	जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जन्म तिथि	जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सेवा निवृति की तिथि	अभ्युक्ति
12906/2018 14.08.2018	1	श्री भैरबी नन्दन प्रसाद, पिता–स्व0 बासुदेव प्रसाद	सीतामढी	27.01.1954	31.01.2014	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत ।
	2	श्रीमती राम दुलारी देवी, पति– स्व0 कैलाश प्रसाद यादव	सीतामढी	01.12.1951	30.11.2011	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत /मृत (वादी पत्नी)

	3	श्रीमती आशा देवी	सीतामढी	01.01.1958	30.12.2017	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत /मृत (वादी पत्नी)
	4	श्री बैधनाथ सिंह	सीतामढी	16.04.1950	30.04.2010	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत ।
	5	श्रीमती किशोरी देवी	सीतामढी	अक्टूबर 1942	31.10.2002	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत /मृत (वादी पत्नी)

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तिथि दिनांक 20.06.2018 को सेवानिवृत /मृत थे अर्थात इनके या इनके आश्रितों के द्वारा सेवानिवृति के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया गया ।

पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि याचिकाकर्ता का दावा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10653/2008 के याचिकाकर्ता श्री अनिरूद्ध झा के समरूप है, तो याचिकाकर्ताओं को भी श्री अनिरूद्ध झा के अनुरूप लाभ दिया जाना है । श्री अनिरूद्ध झा द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10653/2008 वर्ष 2008 में दायर किया गया था । परन्तु उनकी सेवा निवृति वर्ष 2010 में हुई थी । परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10653/2008 में दिनांक 27.04.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में रिट याचिका दायर करने की तिथि से श्री झा की सेवा समायोजन हेतु विभागीय संकल्प 391415 दिनांक 28.09.2018 निर्गत किया गया ।

वित्त विभाग द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 16072/2011 एवं एल0पी0एल0 संख्या 1198/2013 में पारित आदेश के आलोक में बोर्ड/निगम/सोसाईटी के कर्मियों के सेवा समायोजन के संबंध में संकल्प संख्या 796 दिनांक 02.02.2018 निर्गत किया गया है । इस संकल्प में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आदेश निर्गत की तिथि से बोर्ड/निगम/सोसाईटी के कर्मियों का सरकारी सेवा में समायोजन किया जाएगा ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 12906/2018 में दिनांक 14.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में उपरोक्त विवरणी के कम संख्या 1 से 5 पर अंकित सभी याचिकाकर्ता याचिका दायर करने की तिथि को या तो सेवा निवृत थे या

ग्रेचानिवृत / मृत कर्मी के आश्रित थे, का सरकारी सेवा में समायोजन संबंधी दावा श्री अनिरूद्ध झा के समरूप नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है ।

सभी संबंधितों को सूचित करें ।

5/3/2019

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 415174 पटना, दिनांक 5.3.19

ग्रा0वि06अभि0 03–21/2018

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/ उपर वर्णित याचिका से संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मी/विभागीय सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/3/2019

सरकार के सचिव